

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 242/2019

प्रार्थी वनाम अप्रार्थी  
1 जिला बाड़मेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाड़मेर 1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपरिस्थिति :- 1 प्रतिनिधि जिला बाड़मेर दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड बाड़मेर।  
2 तहसीलदार बाड़मेर अप्रार्थी।

## आदेश

दिनांक 26/07/19

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाड़मेर शहर पटवार क्षेत्र बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1702, 3447/1703 कुल रकबा 32.17 बीघा पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाड़मेर द्वारा क्रय कर बाड़मेर जिले में वर्ष 1980 में दुग्ध अभिशीथलन केन्द्र का निर्माण करवाया गया, जो दिनांक 02.06.2007 से बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के नाम पंजीकरण हो गया। इस भूमि पर माह जुलाई 2007 से बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने अपना स्वतंत्र कार्य पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड जोधपुर से अलग होकर प्रारम्भ कर दिया था, तब से बाड़मेर जिले की प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध संकलन कर पाश्चुराइजेशन एवं पैकिंग करके विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जा रहा है। बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाड़मेर के गठन एवं पंजीकरण दिनांक 02.06.2007 से पूर्व यह भूमि पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर द्वारा बाड़मेर जिले में दुग्ध संकलन प्रारम्भ करने के लिए दुग्ध अभिशिथन केन्द्र बाड़मेर का संयंत्र बनाने हेतु क्रय की गई थी। शासन उप सचिव पशु पालन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.1(23) प.पा./06 दिनांक 19.01.2007 से जारी प्रशासनिक स्वीकृति रजिस्ट्रार महोदय, सहाकारी समितियां राजस्थान जयपुर के पत्रांक फा. 1(15) सपिरा/उद्योग/जोधपुर डेयरी दिनांक 13.02.2007 एवं शासन उप सचिव पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के संशोधन पत्र क्रमांक 01(23)पपा/6 दिनांक 07.04.2007 द्वारा नये बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के गठन के निर्देशानुसार संयुक्त रजिस्ट्रार, सहाकारी समितिया, जोधपुर खण्ड जोधपुर के पत्रांक फा.1(1)/सरजो/नियम/2007/2735 दिनांक 11.04.2007 के द्वारा बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के पंजीयन की कार्यवाई प्रारम्भ करके दिनांक 02.06.2007 को बाड़मेर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का पंजीकरण किया गया। बाड़मेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाड़मेर की विशेष आम सभा दिनांक 25.06.2008 में निर्णय लेकर बाड़मेर दुग्ध संघ को पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर से प्राप्त समितियों एवं दायित्वों को प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। सम्पतियों एवं दायित्वों के विभाजन का पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जोधपुर एवं



उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

बाडमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकार किया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर खण्ड जोधपुर के आदेश क्रमांक फा1सरजो/नियम/08/6629 दिनांक 05.07.2008 द्वारा बाडमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड एवं पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जाधपुर की सम्पतियों एवं दायित्वों के विभाजन की स्वीकृति दी गई।

उक्त तथ्यों के मद्देनजर मौजा बाडमेर शहर के खसरा संख्या 1702 एवं 3447/1703 कुल रकबा 32.17 बीघा भूमि मैसर्स पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर के स्थान पर बाडमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार बाडमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रों के मद्देनजर मैसर्स पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर के स्थान पर बाडमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। लिहाजा नाम परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राज्य सरकार एवं संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर खण्ड जोधपुर द्वारा जारी पत्रों का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पूर्व में मैसर्स पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर का नाम अब बाडमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर हो चुका है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में भी संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बाडमेर शहर पटवार क्षेत्र बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1702, 3447/1703 कुल रकबा 32.17 बीघा में खातेदार मैसर्स पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर के स्थान पर बाडमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बाडमेर संशोधित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 26.7.19 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी (SDO),  
बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO),  
बाडमेर